EDUCATION & DEPARTMENT CULTURE (KUMARI SELJA): (a) and (b) The vacancies of teachers and Principals under the direct recruitment quota are filled on the basis of open advertisements and candidates from all parts of the country can apply for the posts regardless of the state of residence/ domicile. The Kendriya Vidyalaya Sangathan does not maintain records regarding the native/domicile State of the teachers and Principals, centrally.

Entrance Rate In Schools In Rural and Urban Areas

1892. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minsiter of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state.

(a) the entrance rate at primary, middle and matriculation stages in the schools for urban and rural areas, separately;

(b) the drop-out rates for the same;

(c) whether Government are aware that quality of education in rural areas is inferior to that of urban areas; and

(d) if so, the steps taken by Government for improving the standard of education in the rural areas of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT(DEPARTMENT OF EDUCATION) (DR. KRUPASINDHU BHOI): (a) and (b) Data on entrance rates and on rural and urban schools is not collected separately. However, statistics relating to drop out for Classes I-V, I-VIII and I-X for boys and girls separately are published in the Annual Report of the Ministry.

(c) and (d) It is difficult to generalise that quality of education in rural areas is uniformly inferior to that of urban areas.

रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों को नियंत्रित किया जाना

1893. **श्री नरेश यादव:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के पास उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या किसानों को नियत मूल्यों पर ये उर्वरक उपलब्ध हो पाते हैं,

(ग) क्या इस संबंध में स्थिति की समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की गई थी,

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकलें हैं, और

(ङ) यदि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो मूल्य नियंत्रण तंत्र का औचित्य क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) और (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई सी ए) 1955 वह संविधि है जिसके अंतर्गत सरकार को उर्वरकों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित और विनियमित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

यूरिया ही एक मात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य, आबंटन और संचलन नियंत्रण के अंतर्गत आता है। बिक्री कर जहां कहीं लागू है, को छोड़कर यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य 3320 रुपए प्रति टन है। अन्य फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरक 25.8.92 से नियंत्रणमुक्त है। अनियंत्रण के पश्चात फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग (डी ए सी) भारत सरकार द्वारा 1.10.92 से एक तदर्थ रियायत योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कम्पलैक्स ग्रेड उर्वरकों के मामले में 435-999 रुपए प्रति टन तक म्यूरिएट आफ पोटाश तथा स्वदेशी डाई अमोनियम फास्फेट पर 1000 रुपए प्रति टन और सिंगल सुपर फास्फेट पर 340 रुपए प्रति टन तक रियायत इस समय उर्वरक आपूर्ति करने वाले अभिकरणों को प्रदान की जाती है।

अनियंत्रित उर्वरकों का बिक्री मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तथापि, अनियंत्रित उर्वरक के मामले में डी ए सी की तदर्थ रियायत योजना में शमिल है, बिक्री मूल्य आपूर्तिकर्ता द्वारा राज्य सरकारों के